

प्रशासन गांवों के संग

अभियान 2021

2021/708

प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर घडसाना

पीठासीन अधिकारी :- अभिलाषा आर.ए.एस. कैम्प कोर्ट : ग्राम पंचायत 2 M GM

-: आदेश :-

दिनांक : 10-11-2021

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र एवं पटवारी हल्का 2-3 RSM एवं भू-अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट तथा तहसीलदार / नायब तहसीलदार की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम 1 RSM जिला श्रीगंगानगर की जमाबंदी सन्वत् 2076-77 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप में सुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरानद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र. सं.	ग्राम का नाम	खाता सं.	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश(शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी हैं।)
1	2	3	4	5
1.	1 RSM	43	सुखकिंद मौर पत्नी सतपाल जाति मेहरा सा. 37 BB 88 पदमपुर जाति मेहरा	सुखकिंद मौर पुत्री सतपाल जाति मेहरा सा. 37 BB 88 पदमपुर जाति मेहरा

(अभिलाषा)

उपखण्ड अधिकारी

घडसाना

क्रमांक / संदर्भ / प्रमा सं.अ. / 2021 / 1227-1229

प्रतिलिपि:-

दिनांक 10/11/2021

1. तहसीलदार घडसाना / रावला को भेजकर लेख हैं कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरानद किया जाना सुनिश्चित करें।
2. प्रार्थी श्री सुखकिंद मौर पत्नी सतपाल 37 BB को सूचनाएं।
3. रक्षित पत्रावली।

उपखण्ड अधिकारी  
घडसाना